तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.17/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
16.10.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (दिव्याशु पुत्र श्री कमलेश अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, गुलाब नगर, केशरपुरा काम्बेश्वर रोड़, शिवगंज, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, गुलाब नगर, केशरपुरा काम्बेश्वर रोड़, शिवगंज, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही) के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरूद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दिनांक 11.02.2023 को फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, गुलाब नगर, केशरपुरा काम्बेश्वर रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दिव्यांशु पुत्र कमलेश अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee का नमूना संख्या S-2001, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:**379F/FSSA/2023** दिनांक 14.7.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 16.10.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री चौधरी की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कोई कार्यवाही मौके पर व विधि अनुसार सम्पादित नही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी के सेम्पल को एकत्रित कर कब्जे में लेकर एक निश्चित ताप पर स्टोर नही किये थे जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण ने आवेदक को दी थी कि आप उक्त घी के सेम्पल को एक निश्चित ताप में ही स्टोर करे, अन्यथा तापमान कम ज्यादा होने पर घी की क्वालिटी प्रभावित होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त घी के सेम्पल को एकत्रित कर कब्जे जाब्ते में लिया जाने के समय से लेकर वक्त परीक्षण तक सेम्पलिंग को किस तापमान पर स्टोर किया तथा विधि सम्मत स्टोरेज की प्रक्रिया के पालन के सबंध में कोई भी कथन का दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही आवेदक की .....लगातार	

प्रा. जिला अधिकारी
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:28 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.17/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस ...म की तामिलमें जारी हुए
	उक्त त्रृटि के कारण ही सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित हुई है जिसमें उक्त सेम्ल अमानक होना पाया जाने में प्रतिवादीगण की कोई त्रृटि या अपराध किया जाना गलत व मनगंढत है। प्रतिवादीगण द्वारा आवेदक को सेमलिंग के समय से लेकर वक्त परीक्षण सेम्पल को एक ही तापमान पर स्टोर किये जाने के संबंध में कई बार निवेदन किये गये थे। साथ ही आवेदक द्वारा भी विधिसम्मत स्टोरेज प्रक्रिया का पालन नही कर केवल मात्र आंकडे दर्शित करने हेतु प्रतिवादीगण की उक्त दुकान से उक्त सेम्पल लिया जाकर प्रतिवादीगण को झूठां फसाया गया है। सही हकीकत यह है कि उक्त सेम्पलिंग के बाद से सेम्पल को एक ही तापमान पर स्टोर किया जाना आवश्यक व विधि सम्मत था परन्तु उक्त स्टोरेज की त्रृटि के कारण की सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित हुई है जिससे उक्त सेम्पलिंग घी को अमानक का विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया होना अभियुक्तगण विरुद्ध होना सर्वथा मिथ्या, असत्य व अप्रमाणित है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 11.2.2023 को फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, गुलाबनगर, केशरपुरा काम्बेश्वर रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर प्रतिवादी विक्रेता दिव्याशु पुत्र कमलेश अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– गांधीनगर, केशरपुरा, तह. शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु एक बडे बर्तन में रखे हुए 250 लीटर खाद्य पदार्थ Ghee लूज में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता दिव्यांशु पुत्र कमलेश अग्रवाल को प्रपत्र 5ए में गवाह के समक्ष भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने दुकान के अन्दर रखे उक्त खाद्य पदार्थ Ghee में से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ Ghee को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 390/– (अक्षरे रुपये तीन सौ नब्बे मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दिव्यांशु को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने खरीदशुदा घी को हिलामिलाकर एकरुप करके चार साफ, सूखी एवं खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2001 ... पदार्थ Ghee आदि ......लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला परिषद् सिरोही (राज०)
प्रांत. जिला परिषद्
सिरोही–307001.
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:28 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.17/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता दिव्यांशु एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Ghee की चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2001 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दिव्यांशु व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत व गवाह तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, गुलाबनगर, केशरपुरा काम्बेश्वर रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी दिव्यांशु से खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee का नमूना संख्या S-2001 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः**L.S./237/Act/2023/275** दिनांक 22.2.2023 में असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) व अमानक (sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2001 की रेफरल लेब से जांच हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2001 की जांच हेतु रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:28 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.17/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	में भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्टं खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:**379F/FSSA/2023** दिनांक 14.7.2023 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2001 अमानक (sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी का प्रोपराईटर कमलेश पुत्र रतनलाल जी अग्रवाल (प्रतिवादी संख्या–2) है व प्रतिवादी दिव्यांशु उसका पुत्र है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल की प्रोपराईटरी फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, गुलाबनगर, केशरपुरा काम्बेश्वर रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी दिव्यांशु पुत्र कमलेश अग्रवाल द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (नमूना संख्या S-2001) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, गुलाबनगर, केशरपुरा काम्बेश्वर रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 19.11..2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:28 IST
Reason: SelfAttested